

प्रदत्त वित्तीय सहायता

मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरज़ोना का मशिन प्रत्येक मरीज के लिये सर्वश्रेष्ठ देखभाल प्रदान करना है। इस मशिन के भाग्य के रूप में, मेयो क्लीनिक अस्पताल - एरज़ोना आपातकालीन या आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए भुगतान करने में असमर्थ रोगियों को अपने वित्तीय सहायता नीति के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

पात्रता के लिए मानदंड और प्रदत्त सहायता

वित्तीय सहायता के लिए पात्रता कई कारकों पर आधारित है, जसमें बीमा कवरेज की स्थिति की प्रकृति (व्यक्तिगत चोट के दावों सहित) बीमा कवरेज या भुगतान के अन्य स्रोतों, आय, परिवार का आकार, संपत्ति और (संघीय निर्धनता का स्तर से संबंधित) दशिया निर्देशों के उपयोग वित्तीय पेशकश की सहायता की राशि का निर्धारण करने के लिए किया जाता है), और किसी विशेष वचन जसमें आवश्यक देखभाल के लिए मरीज या चिकित्सक वचन करना चाहते हैं, भी शामिल है।

वित्तीय सहायता उन मरीजों को दी जाती है जो गैर-बीमति है या फरि कम बीमति है। आंशिक या पूरण वित्तीय सहायता बलि का भुगतान करने की मरीज की कृपमता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

मरीजों को पूरी तरह से टैक्स रट्टिरन, बैंक अट्टमेंट और पेस्टब प्रस्तुत करने के साथ ही मेडीकेड या चिकित्सा सहायता सहित सहायता के सभी उपलब्ध स्रोतों के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

सहायता के लिए आवेदन कैसे करें

मरीज या परिवार का कोई सदस्य या प्रदाता सहित मरीज की देखभाल में शामिल कोई भी व्यक्ति, मरीज की देखभाल के दौरान किसी भी समय वित्तीय चिंताओं को व्यक्त कर सकता है। इसके बाद मरीज या जम्मेदार पक्ष को एक वित्तीय सहायता आवेदन को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्तीय सहायता मेयो क्लीनिक अस्पताल पर प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा देखभाल सेवाओं और मेयो क्लीनिक चिकित्सा कर्मियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तक ही सीमति है। सामान्य व्यय जैसे परिवार, भोजन, आवास, रहने का खर्च, चिकित्सा उपकरण और नुसखे को वित्तीय सहायता नीति के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। मेयो क्लीनिक प्रत्येक रोगी की गोपनीयता और गरमि बनाए को रखेगा, और वित्तीय सहायता के वचन से प्रस्तुत किसी भी सूचना को संरक्षित स्वास्थ्य की जानकारी के रूप में हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबलिटी एंड एकाउंटेबलिटी एक्ट (एचआईपीए) के अंतर्गत माना जाएगा।

प्रतलिपियाँ कहाँ से प्राप्त करें

मेयो क्लीनिक की वित्तीय सहायता नीति और आवेदन पेशेंट अकाउंट सर्वसेज पर 1-844-217-9591 पर कॉल करके मेल या ईमेल द्वारा एक प्रतिका अनुरोध करने पर यह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। नीति और आवेदन पत्र डाउनलोड करने और मुद्रण के लिए www.mayoclinic.org/financialassistance पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। नीति और आवेदन की प्रतियाँ मेयो क्लीनिक अस्पताल के सभी एडमिशन और बज़िनस सर्वसेज एरिया साथ ही सभी आपातकालीन वित्तिय स्थानों पर उपलब्ध हैं।

सूचना और सहायता के लिए संपर्क करें

आवेदन प्रक्रिया के साथ वित्तीय सहायता नीति और सहायता के बारे में अतिरिक्त सूचना पेशेंट अकाउंट सर्वसेज से प्राप्त किया जा सकता है:

- www.mayoclinic.org/financialassistance पर जाकर और होम पेज से पेशेंट अकाउंटमें प्रवेश का चयन करके मेयो पोर्टल को सुरक्षित करें।
- आप 1-844-217-9591 पर कॉल कर सकते हैं या एक वयापार कार्यालय जा सकते हैं:
मेयो क्लीनिक अस्पताल एरज़ोना - 5777 पूव मेयो बुलेवार्ड, फीनकिस, एजेड
(Mayo Clinic Hospital, Phoenix, Arizona: 5777 East Mayo Boulevard, Phoenix, Arizona)

गैर अंग्रेजी बोलने वालों के लिये

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति का उपयोग और यह सरल भाषा सारांश का अनुवाद www.mayoclinic.org/financialassistance पर उपलब्ध हैं।

AGB से अधिक नहीं

वित्तीय सहायता के लिए पात्र मरीज से सामान्य रूप से आपातकालीन या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए वसूल किए जाने वाली बलि से ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता है।